संख्या 858/43-2-08-15/2(3)/07 टी0सी0II

प्रेषक,

नागेश्वर नाथ उपाध्याय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2— समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

3— समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

4— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2008

विषय: लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—4 (1) बी के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव महोदय की ओर से निर्गत पत्रांक 558/43-2-2008-15/2(3)/2007 टी0सी0, दिनांक 06 जून, 2008 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसमें आपसे सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—4 (1) बी के अन्तर्गत अपने—अपने विभाग के अधीन लोक प्राधिकरणों की सूचना उक्त निर्गत पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर (सी0डी0 सहित) सूचना 30 जून, 2008 तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था। किन्तु अभी भी आपके अधीन विभागों के लोक प्राधिकरणों की सूचना (सी0डी0 सहित) प्राप्त नहीं हुई है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—4 (1) बी के संबंध में अपने विभाग के अधीन जिन प्राधिकरणों द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है उनसे तत्काल कार्यवाही करा कर अपने अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक संकलित सूचना (सी0डी0 सहित) प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव।

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org